

04.07.2023 वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रजंन उपस्थित। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार चौबे उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री सत्येन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका उपस्थित।

वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि यह वाद काल बाधित हो चुका है, अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जा सकती है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(n) की अयोग्यता उसी कार्यकाल तक प्रभावित रहती है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा कार्यकाल पूर्व ही त्याग-पत्र दे दिया गया था।

दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के मतैक्य एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(n) के प्रभाव की समय-सीमा का परीक्षण करने के उपरान्त मामले को काल बाधित होने के कारण बन्द करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। इस आदेश के साथ ही वाद की कार्रवाई निष्पादित मानी जाएगी।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

04.07.2023

दिनांक:- 10.07.23

ज्ञापांक:-04/2021.....2519

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, बाँका/वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका/वादी /प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी वादी एवं प्रतिवादी को इस आदेश का तामिला कराते हुए 24 घंटे के अन्दर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10/07/23
विशेष कार्य पदाधिकारी